

न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्या:-322/19 (जीसीएमएस नं. 2019/00229)

01. श्रीमती नाथीदेवी पुत्री स्व० श्री मन्नालाल पत्नी श्री छीतरमल, जाति रैगर, निवासी ग्राम दहमीकलां, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान हाल निवासी ग्राम नरेना, तहसील सांभर, जिला जयपुर, राजस्थान।

—अपीलार्थीया,

बनाम

01. श्रीमती प्रेमदेवी पत्नी श्री रामजीलाल पुत्री स्व. श्री मन्नालाल उम्र 45 वर्ष, जाति रैगर, निवासी ग्राम दहमीकलां, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर राजस्थान हाल निवासी ग्राम पालड़ी मीना, आगरा रोड़, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान।
02. श्रीमती संतरादेवी पत्नी श्री हनुमान पुत्री स्व. श्री मन्नालाल, उम्र 38 वर्ष, जाति रैगर, हाल निवासी ग्राम पालड़ी मीना, आगरा रोड़, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर राजस्थान।
03. ओमप्रकाश पुत्र स्व. श्री मन्नालाल, जाति रैगर, निवासी ग्राम दहमीकलां, तहसील सांगानेर जिला जयपुर, राजस्थान।
04. राजेश कुमार पुत्र स्व. श्री सुवालाल, जाति रैगर, निवासी ग्राम दहमीकलां, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान।
05. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान।

—अप्रार्थीगण/विपक्षीगण

अपील संख्या:-340/19(जीसीएमएस नं. 2019/00267)

01. श्रीमती नाथीदेवी पुत्री स्व० श्री मन्नालाल पत्नी श्री छीतरमल, जाति रैगर, निवासी ग्राम दहमीकलां, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान हाल निवासी ग्राम नरेना, तहसील सांभर, जिला जयपुर, राजस्थान।

—अपीलार्थीया,

बनाम

01. श्रीमती प्रेमदेवी पत्नी श्री रामजीलाल पुत्री स्व. श्री मन्नालाल उम्र 45 वर्ष, जाति रैगर, निवासी ग्राम दहमीकलां, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर राजस्थान हाल निवासी ग्राम पालड़ी मीना, आगरा रोड़, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान।
02. श्रीमती संतरादेवी पत्नी श्री हनुमान पुत्री स्व. श्री मन्नालाल, उम्र 38 वर्ष, जाति रैगर, हाल निवासी ग्राम पालड़ी मीना, आगरा रोड़, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर राजस्थान।
03. ओमप्रकाश पुत्र स्व. श्री मन्नालाल, जाति रैगर, निवासी ग्राम दहमीकलां, तहसील सांगानेर जिला जयपुर, राजस्थान।
04. राजेश कुमार पुत्र स्व. श्री सुवालाल,

P.T.O.

(2)

05. सुरेश पुत्र स्व. सुआलाल,
06. श्रीमती लाडादेवी पत्नी स्व. सुआलाल,
07. श्रीमती मंशा देवी पुत्री स्व. सुआलाल,
08. श्रीमती गीतादेवी पुत्री स्व. सुआलाल,
09. श्रीमती सीतादेवी पुत्री स्व. सुआलाल, समस्त जाति रैगर, निवासीगण ग्राम दहमीकलां, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान।

—अप्रार्थीगण/विपक्षीगण

निर्णय

दिनांक 25.11.2020

अपीलार्थीया द्वारा यह दोनों अपीलें न्यायालय तहसीलदार सांगानेर जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश क्रमशः दिनांक 26.11.2019 एवं 11.12.2019 के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्त ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि वाके ग्राम दहमीकलां तहसील सांगानेर जिला जयपुर की आराजीयात खसरा नम्बर 630 लगायत 634 व 636 कुल किता 6 कुल रकबा 3.88 हैक्टर भूमि मन्नालाल पुत्र भूरा के नाम दर्ज रिकार्ड थी तथा खातेदार मन्नालाल का स्वर्गवास वर्ष 1992 में हो गया तदपरान्त मन्नालाल के वारिसान में पहली पत्नी कस्तूरी से एक पुत्र सुवालाल, दूसरी पत्नी मांगी से एक पुत्र छीतर व एक पुत्री नाथीदेवी है तथा तीसरी पत्नी धापू से एक पुत्र ओमप्रकाश व दो पुत्रीयान प्रेमदेवी व संतारा देवी है, खातेदार मन्नालाल की मृत्यु के पश्चात् विरासत के आधार पर फौती नामान्तरकरण जो कि दिनांक 04.02.1994 को धापूदेवी पत्नी स्व. श्री मन्नालाल, सुवालाल पुत्र मन्नालाल, ओमप्रकाश पुत्र मन्नालाल, छीतर पुत्र मन्नालाल के नाम से खोला गया जिसके नामान्तरकरण संख्या 18 है तथा फौती नामान्तरकरण के आधार पर उक्त भूमि का नामान्तरकरण सुवालाल पुत्र मन्ना हिस्सा 1/4 छीतर पुत्र मन्ना हिस्सा 1/4, ओमप्रकाश पुत्र मन्ना व धापू पत्नी मन्ना हिस्सा 1/2 खुल चूका है और प्रकरण मे छीतर पुत्र मन्नालाल अविवाहित ही दिनांक 09.04.1995 को फौत हो चुका है जिसकी मृत्यु के बाद सुवालाल का पुत्र राजेश ने अपने आप को छीतर का दत्तक पुत्र बताते हुए छीतर पुत्र मन्ना की प्रश्नगत भूमि के हिस्से की 1/4 भूमि का नामान्तरकरण अपने नाम खुलवा लिया जिसको छीतर पुत्र मन्ना की माँ जाई बहन नाथी देवी पुत्री मन्ना ने सक्षम न्यायालय में अपील कर राजेश के पक्ष में खोले गये अपने भाई छीतर के हिस्से की भूमि 1/4 का नामान्तरकरण खारिज किया, तत्पश्चात ग्राम पंचायत दहमीकलां से सजरा बनवाकर उक्त भूमि का नामान्तरकरण अपीलार्थीया के नाम सजरा पेश करने पर अपीलार्थीया के नाम से नामान्तरकरण खोला गया जो कि नामान्तरकरण संख्या 860 दिनांक 10.05.2017 तस्दीक किया गया, नामान्तरकरण संख्या 860 दिनांक 10.05.2017 के

(3)

विरुद्ध राजेश, प्रेमदेवी व सतरादेवी ने प्रथम अपील संख्या 131/2017 उनवानी प्रेमदेवी बनाम नाथी देवी बगैरहा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम जयपुर के समक्ष पेश हुई जिसका निर्णय दिनांक 29.11.2017 को अपील को अस्वीकार करते हुए अपील खारिज कर दी गई जिसके विरुद्ध श्रीमती प्रेमदेवी व श्रीमती संतरादेवी असन्तुष्ट होकर न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई जो अपील संख्या 448/2017 दर्ज होकर निर्णय दिनांक 05.03.2018 द्वारा आंशिक स्वीकार की जाकर प्रकरण तहसीलदार सांगानेर को रिमाण्ड किया गया।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि रेस्पोजेन्ट ओमप्रकाश की ओर से अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सांगानेर की न्यायिक प्रणाली से असन्तुष्ट होकर जिला कलक्टर जयपुर के आदेश क्रमांक कोट/2019/1047 दिनांक 03.07.2019 द्वारा मुन्तकिली प्रार्थना पत्र पेश किया गया और पत्रावली में आगामी तारीख पेशी 14.08.2019 फरमाई गई तत्पश्चात् उक्त तिथि 14.08.2019 से 14.10.2019 तक प्रकरण में कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हुई और आगामी तारीख पेशी दिनांक 14.11.2019 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीया नाथीदेवी की ओर से एक प्रार्थना पत्र जिला कलक्टर जयपुर के समक्ष प्रस्तुत पत्रावली ट्रांसफर प्रार्थना पत्र संख्या 175/2019 पेश किया गया जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेशिका में रिकार्ड में पर लेकर पत्रावली में आगामी तारीख पेशी दिनांक 26.11.2019 नियत फरमाई गई और अपीलार्थीया की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 26.11.2019 को उपस्थित होकर जिला कलक्टर के आदेश दिनांक 25.11.19 के बारे में अवगत कराते हुए प्रकरण तहसीलदार फागी को मुन्तकिल करने बाबत अवगत करवा दिया था फिर भी अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सांगानेर के द्वारा दिनांक 26.11.2019 को बिना बहस सूने ही उक्त अपीलार्थीन आदेश पारित किया गया है जो पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड एवं तथ्यों के विपरित एवं विधि के सिद्धान्तों के विपरित होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 08.07.2019 को अप्रार्थीया की ओर से पत्रावली मुन्तकिल किये जाने का प्रार्थना पत्र पेश हो चुका था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को नजर अन्दाज करके पत्रावली में आदेश पारित किया गया है जबकि विधि का यह प्रतिपादित सिद्धान्त है कि यदि पत्रावली मुन्तकिल किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हो जाने के उपरान्त उस प्रार्थना पत्र के विचाराधीन रहते प्रकरण में कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की जा सकती परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के प्रतिपादित सिद्धान्तों के विपरित जाकर अपीलार्थीन आदेश पारित किया गया है जो विधि विधान के विरुद्ध होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि नामान्तरकरण संख्या 860 प्रार्थी के पक्ष में विरासत के आधार पर खोला गया है चूंकि प्रार्थीया श्रीमती

P.T.O.

नाथीदेवी व मृतक छीतरमल, पिता स्व. मन्ना की दूसरी पत्नी स्व. श्रीमती मांगीदेवी की संतान है जो आपस में सगे भाई-बहन है ऐसी स्थिति में भाई की मृत्यु हो जाने पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 195 की धारा 8 के अनुसार प्रथम श्रेणी के वारिस न होने की स्थिति में जिनमें प्रथम श्रेणी के वारिसों में माता, पुत्र, पुत्री, विधवा आदि आते हैं परन्तु मृतक छीतरमल के प्रथम श्रेणी के वारिसों में कोई जीवित नहीं था क्योंकि वह नाऔलाद अविवाहित फौत हुआ है तथा उसकी माता भी जीवित नहीं थी इसलिये उसके धारा 8 के अनुसार प्रथम श्रेणी का कोई वारिस सगा जीवित नहीं होने पर उक्त के नाम सम्पत्ति द्वितीय श्रेणी के वारिसों में जायेगी। द्वितीय श्रेणी के वारिस में पिता, पुत्र की पुत्री का पुत्र, पुत्री की पुत्री, भाई, बहन आदि आते हैं परन्तु मृतक छीतरमल के पिता मन्ना की मृत्यु हो चुकी थी, सगा भाई कोई नहीं था, कोई पुत्र या पुत्री नहीं थी इसलिये अपीलान्त ही एकमात्र सगी बहन थी जो कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 पूर्णरक्त सम्बन्ध रखने वाले वारिसियों को अर्धरक्त, सम्बन्ध रखने वाले वारिसों पर अधिमान प्राप्त होता है, उसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.11.2019 पारित किया गया है जो विधि-विधान एवं न्यायिक प्रक्रिया के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। अतः अपीलार्थीया की दोनों अपीलें स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सांगानेर जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.11.2019 एवं उक्त आदेश की पालना में नामान्तरकरण संख्या 974 पर पारित आदेश दिनांक 11.12.2019 को निरस्त फरमाया जावें।

पैरोकार सरकार ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश को विधिसम्मत बताते हुए अपीलान्त की दोनों अपीले खारिज करने का निवेदन किया।


शेष रेस्पोजेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं तथा उनकी ओर से किसी प्रकार की कोई लिखित बहस भी प्रस्तुत नहीं की गई है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन पर जाहिर आया है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सांगानेर के समक्ष विचाराधीन रिमाण्ड प्रकरण के सम्बन्ध में रेस्पोजेन्ट संख्या 1 व 2 प्रेमदेवी व संतरादेवी द्वारा मुन्तकिली प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो जिला कलक्टर जयपुर के पत्रांक 1047 दिनांक 03.07.2019 के संलग्न दिनांक 03.07.2019 को बिन्दुवार टिप्पणी हेतु तहसीलदार सांगानेर को प्राप्त हुआ है, इसी प्रकार एक अन्य मुन्तकिली प्रार्थना पत्र अपीलान्त नाथीदेवी द्वारा जिला कलक्टर जयपुर के समक्ष प्रस्तुत होने पर जिला कलक्टर जयपुर के पत्रांक 3174 दिनांक 13.11.2019 के संलग्न दिनांक 14.11.2019 को तहसीलदार सांगानेर को बिन्दुवार टिप्पणी हेतु प्राप्त हुआ है ऐसी स्थिति में विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों एवं न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार जब पक्षकारान द्वारा न्यायालय से न्याय की उम्मीद ना होना

(5)

अवगत कराते हुए मुन्तकिली प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाते है तो उक्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण से पूर्व न्यायालय को प्रकरण में अंतिम निर्णय नही किया जाना चाहिये जबकि हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थीया द्वारा एवं रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा जिला कलक्टर जयपुर के समक्ष दो मुन्तकिली प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने के उपरान्त भी उक्त प्रार्थना पत्र के बिन्दुवार टिप्पणी जिला कलक्टर को ना भिजवाकर प्रकरण का अंतिम रूप से निर्णय पारित किया गया है जिसे विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों एवं न्यायिक प्रक्रिया की दृष्टि से उचित नही ठहराया जा सकता।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्त की दोनों अपीले स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सांगानेर जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.11.2019 एवं नामान्तरकरण संख्या 974 वाके ग्राम दहमीकलां तहसील सांगानेर पर पारित आदेश दिनांक 11.12.2019 को निररत किया जाता है। चूँकि प्रकरण में जिला कलक्टर जयपुर के समक्ष विचाराधीन मुन्तकिली प्रार्थना पत्रों के निर्णय दिनांक 25.11.2019 से प्रकरण तहसीलदार फागी को सुनवाई हेतु मुन्तकिल किया गया था ऐसी स्थिति में प्रकरण तहसीलदार फागी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण के उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

  
(सोमनाथ मिश्रा)  
संभागीय आयुक्त,  
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 25.11.2020 को खुले न्यायालय में सुनया गया।

  
संभागीय आयुक्त,  
जयपुर।